तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3266/2005/दौसा श्रीनारायण बनाम श्रीराम	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ (कैम्प जयपुर)

श्री गणेश कुमार, सदस्य

संशोधित उनवान

1– श्रीनारायण
2– गुलाब पुत्रगण छीतर
3– सरदार
4– करतार पुत्रगण श्योदान
5– धर्मसिंह पुत्र कजोड
6– जयसिंह पुत्र कजोड (नाम तर्क)
समस्त जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलार्थीगण

बनाम

1– श्रीराम पुत्र रामसहाय
2– गंगासहाय पुत्र रामसहाय मृतक जरिये वारिसान–
2/1–तोफली पत्नी गंगासहाय
2/2–रामफूल
2/3–कैलाश पुत्रगण गंगासहाय
2/4–विनोद
2/5–संती पुत्रियां गंगासहाय
3– सुन्दर
4– रंगलाल पुत्र रामसहाय
5– नानगराम पुत्र पन्ना मृतक जरिये वारिसान–
5/1–चन्दर
5/2–रघुवीर
5/3–गोकल
5/4–बद्री पुत्रगण नानगराम
5/5–रूकमणी
5/6–गुल्ली पुत्रियां नानगराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी पापडाकी तहसील बस्वा जिला दौसा
7– सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित –
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री लालचन्द जाट, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 10–03–2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 146/2004 बउनवानी श्रीराम व अन्य बनाम श्रीनारायण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–06–2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3266/2005/दौसा श्रीनारायण बनाम श्रीराम	नम्बर व तारीख

के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति बांदीकुई की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा दिनांक 19–11–2004 को खसरा नम्बर 267 में 0.81 हैक्टयर भूमि आंवटित की गयी। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 5 ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–06–2005 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को अपास्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि खसरा नम्बर 267 पापडाकी में से 0.81हैक्टयर भूमि दिनांक 19–11–2004 को आवंटित हुई और प्रार्थी खातेदार है। आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में अपील होने पर दिनांक 28–6–2004 से अपील स्वीकार करके आवंटन निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय में फ्राड के आधार पर आवंटन नहीं माना। रेस्पोडेन्ट अतिक्रमी है उसे कोई अधिकार नहीं है। सम्वत् 2055 से 61 के रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम नहीं है। अपीलार्थीगण को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 267 के 0.81 हैक्टयर भूमि जिसके पूर्व खसरा नम्बर 105/2 रकबा 03बीघा 01बिस्वा पर अपीलार्थीगण आवंटियों का कब्जा सम्वत् 2034 से भी पूर्व का है। आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलार्थीगण के उक्त भूमि पर पुराने कब्जे का नियमन मात्र किया है। तीनों खसरा परिवर्तनशील में आवंटी ही काबिज है। किसी प्रकार के धोखाधडी से आवंटन नहीं कराया है तथा आवंटन से पूर्व व आवंटन के पश्चात् समस्त नियमों की पालना की है, किसी नियम की अवहेलना नहीं की। भूमि आवंटन नियम 1970 में स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक साथ किया जा सकता है। उक्त आवंटन अपीलार्थीगण जो एक ही परिवार के सदस्य है, के पक्ष में किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारित किया जावे एवं आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये –

1. 2006 आरआरटी (2) पे 1220
2. 2018–19 (Supp.)आरआरटी पेज 399
3. 2019 आरआरटी पेज 124
4. 2021 आरआरटी (2) पेज 1029

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3266/2005/दौसा श्रीनारायण बनाम श्रीराम	नम्बर व तारीख
	विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा नहीं हुई, यह तो अपीलार्थी ही मानता है। प्रत्येक आवंटी का अलग अलग आवेदन होना वांछित है दुरभीं सन्धि हुई है और छः व्यक्तियों को एक साथ आवंटन किया है। वरियता सूची तैयार नहीं की गयी और ना ही आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों को निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया गया है। ना ही राजस्व अभिलेख की जांच करके देखा गया कि भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं। आवंटित भूमि पर पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट का कब्जा है तथा आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है तथा आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् आदेश से अपील स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किया है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये – 1. 1984 आरआरडी पेज 378 2. 1988 आरआरडी पेज 430 हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भूमि आवंटन के लिए उपखण्ड अधिकारी, बादीकुई के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी रिपोर्ट ली गयी व प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष बाद उद्घोषणा प्रस्तुत किया गया और आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 267 रकबा 0.81हैक्टयर भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार करते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के उक्त आवंटन निरस्त के आदेश दिनांक 28–6–2005 के विरूद्ध यह मौजूदा अपील पेश की गयी है। अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि आवंटन कमेटी द्वारा सारी प्रक्रिया की पालना करते हुए ही आवंटन किया गया है इस तर्क के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह तर्क कि आवंटन हेतु उद्घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रेस्पोडेन्ट का उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदन फार्म पर पटवारी रिपोर्ट के कॉलम के नीचे यह पृष्ठांकन है कि ‘‘Sir उद्घोषणा है’’ और इस पृष्ठाकन के खण्डन में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई अपील के समर्थन में अपीलार्थी का शपथपत्र तक भी नहीं है ऐसी स्थिति में कि उद्घोषणा नहीं हुई हो, नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेन्ट स्वयं ने भूमि आवंटन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3266/2005/दौसा श्रीनारायण बनाम श्रीराम	नम्बर व तारीख

आवेदन पेश किया हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का आवंटित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है तो वह निर्बाध कब्जा नहीं माना जा सकता और अतिक्रमी के कब्जे की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध होना मानी जायेगी, यही सिद्धान्त अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2021 आरआरटी (2) पेज 1029 व 2006 आरआरटी (2) पेज 1220में व्यक्त किया है।

अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018–19 आरआरटी पेज 399 में यह व्यक्त किया गया है कि ''राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) राजस्व अपील अधिकारी ने एकपक्षीय आवंटन रद्द किया– आवंटन कमेटी ने भूमि को अनाधिवासित होना निर्णीत किया। आवंटन हेतु उद्घोषणा नहीं की रेस्पोडेन्ट द्वारा साबित नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट नियमित वाद पेश कर अनुतोष की मांग कर सकता है– निर्णीत अपीलान्ट को आवंटन के आदेश में अवैधता नहीं है।''

रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 378 में यह व्यक्त किया है कि –

"Regularisation- Land in possession of trespasser- Appeal against order of S.D.O. alloting land, rejected by R.A.A. holding that land fell within definition of unoccupied land and tresspasser had no title where K.G. for St. 28 to 31, produced by appellant, admitted by R.A.A.- Held, a person in occupation of land for quite some time as a tresspasser, entitled to get regularisation done in his favour and Allotment Committee has consider his case first, before allotment, made to landless person- Such view, taken by Board since Allotment Rules provide for regularisation- Order, set aside and case, remanded to Advisory Committee."

लेकिन मौजूदा प्रकरण में तो पटवारी रिपोर्ट में ही प्रार्थी आंवटी ही अतिक्रमी के रूप में दर्ज है अर्थात् प्रार्थी का कब्जा होना अंकित है और रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार नहीं रहता है।

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1988 आरआरडी 430 में यह निर्धारित किया गया है कि –

"Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural porpuses) Rules, 1970- An allottee has no right to exchange land allotted to him- If allottee does not cultivate the land personally, his allotment is liable to be cancelled- Allotment made on recommendation of

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/3266/2005/दौसा श्रीनारायण बनाम श्रीराम	नम्बर व तारीख

Advisory Committee can not be changed without consultation with Committee."

लेकिन मौजूदा प्रकरण में भूमि के अदला बदली का कोई मामला नहीं है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्त रेस्पोडेन्ट की कोई मदद नहीं करता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड से भी यह प्रकट है कि सम्वत् 2055–61 तक की विभिन्न जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम दर्ज है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन कपट के आधार पर जारी किया गया हो ऐसी भी स्थिति नहीं है। आवंटन प्रक्रिया में कोई कमी रही हो, अभिलेख से प्रकट नहीं होती है और अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी (1) पेज 124 में भी यह व्यक्त किया है कि नियम 14(4) के तहत आवंटन खारिज किया और अपील खारिज की गयी – साबित करने हेतु सामग्री नहीं कि आवंटन तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया–सम्वत् 2062 से 2065 की खसरा गिरदावरी में काश्त दर्शायी – अतिक्रमी कब्जा नियमन हेतु पात्र नहीं है – निर्णीत आवंटन निरस्त करने में निचले न्यायालय न्यासंगत नहीं थे–आदेश अपास्त किये।

मौजूदा प्रकरण में भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि तथ्यों को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि उद्घोषणा नहीं हुई व प्रायोरीटी मेन्टेन नहीं की गयी और रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन विधि सम्मत् है और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा चुनौतीग्रस्त निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 146/2004 बउनवानी श्रीराम व अन्य बनाम श्रीनारायण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–06–2005 अपास्त किया जाता है तथा आवंटन आदेश दिनांक 19–11–2004 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)

सदस्य